



कार्यालय अधिष्ठाता,
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001

FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,
Website: www.cimsbilaspur.ac.in email- deancims@gmail.com

क्र...12418/स्था/प्रशा/सिम्स/2024

बिलासपुर, दिनांक 14/10/24

Walk-In-Interview

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के रिक्त शैक्षणिक पदों की पूर्ति संविदा माध्यम से किये जाने हेतु अधिष्ठाता कार्यालय, सिम्स, बिलासपुर में अक्टूबर माह में दिनांक 17.10.2024 एवं 24.10.2024 को Walk-In-Interview आयोजित किया जाएगा।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

Asst. Professor	Senior Resident
Anatomy – 3 (UR-1, ST-1, OBC-1)	Medicine – 7
Physiology – 2 (UR-1, OBC-1)	T.B. & Chest – 1
Biochemistry – 1 (ST-1)	Skin & V.D. – 1
Pharmacology – 1 (ST-1)	Psychiatry – 1
Pathology +Blood Bank – 3 (ST-1, SC-1, OBC-1)	Pediatric – 3
Microbiology – 2 (UR-1, ST-1)	Surgery – 8
Community Medicine – 5 (UR-1, ST-2, OBC-1, SC-1)	Orthopedics – 3
General Medicine – 3 (ST-2, SC-1)	ENT – 1
T.B. & Chest – 1 (UR-1)	Obst. & Gynae - 4
Surgery – 6 (UR-4 (1F), OBC-2)	Ancesthesia – 10
Orthopedic – 4 (UR-1, ST-2, OBC-1)	Dentistry - 1
Obst. & Gynae – 4 (ST-3, SC-1)	Radiodiagnosis – 4
Radiodiagnosis – 1 (ST-1)	Physical Medicine & Rehabilitation – 2
Neurosurgery – 1 (UR-1)	
Physical Medicine & Rehabilitation – 1 (UR-1)	
Salary Rs. 1,00,000/-	Salary Rs. 75,000/-

General Duty Medical Officer
Total Vacant Post – 6 (UR-2, ST-2, SC-1, OBC-1)
Salary Rs. 62,120/-

आवश्यक दिशा निर्देश :-

- उपरोक्त पदों के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु एवं नेशनल मेडिकल कमीशन के प्रचलित मापदण्ड अनुसार एवं छ.ग. शासन नियमानुसार मान्य होगा।
- उपरोक्त पदों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के लिये लागू आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।
- पदों के समक्ष दर्शित समेकित संविदा वेतनमान प्रतिमाह है। जिसमें शासन के द्वारा निर्धारित संविदा वेतन व अतिरिक्त वेतन जो स्वशासी मद से अनुमोदन उपरांत देय होगा, सम्मिलित है। जिस पर शासकीय नियमानुसार TDS तथा अन्य कटौती किये जायेंगे।
- पदों पर संविदा नियुक्ति एक वर्ष की अवधि अथवा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो के लिये होगा, जो छत्तीसगढ़ शासन, संविदा भर्ती नियम 2012 के अंतर्गत शासित होंगे तथा संविदा अवधि गोपनीय प्रतिवेदन एवं रिक्तता के आधार पर बढ़ायी जा सकेगी।
- सेवानिवृत्त तथा भूतपूर्व शासकीय सेवक/भूतपूर्व सैनिक चिकित्सक भी नियमानुसार पात्र होंगे।
- साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज नवीनतम दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति तथा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मूल प्रति सहित निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थिति दर्ज करें।



कार्यालय अधिष्ठाता,
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001
FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,
Website: www.cimsbilaspur.ac.in email- deancims@gmail.com

- क्र...../स्था/प्रशा/सिम्स/2024 बिलासपुर, दिनांक
- साक्षात्कार के समय शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत् अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में ऐसे अभ्यर्थी अपात्र माने जायेंगे।
 - उपरोक्त दर्शाये गये पदों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है साथ-साथ नियमित विभागीय पदोन्नति से भरे जाने वाले पदोन्नत पद विलोपित भी किया जा सकता है। रिक्त पदों की संख्या प्रतिदिन पदों की रिक्तता के आधार पर अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा निर्धारित की जावेगी।
 - पदों के संवर्ग एवं अर्हता के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी अधिष्ठाता कार्यालय, सिम्स, बिलासपुर से दूरभाष से प्राप्त की जा सकती है।
 - साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रातः 11.00 बजे से प्रारंभ की जावेगी तथा साक्षात्कार हेतु फार्म, अपरान्ह 12 बजे तक स्वीकार किये जावेंगे।
 - उपरोक्त जानकारी सिम्स के वेबसाईट www.cimsbilaspur.ac.in पर भी उपलब्ध हैं।

12419-21

पृ० क्र. /स्था./प्रशा./सिम्स/2024
प्रतिलिपि:-

- अध्यक्ष/सदस्य चयन समिति एवं स्कुटनी समिति की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि साक्षात्कार तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर स्कुटनी एवं चयन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन को संस्थान की वेबसाईट में अपलोड करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- कार्यालयीन प्रति।

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 14/10/24

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,
बिलासपुर (छ.ग.)